बिहार सरकार,
<u>कृषि विभाग।</u>

पत्र संख्या–NHM/BHDS/246 /2024–पी०पी०एम०–141– / कृ०, पटना, दिनांकः09/10/ ,2024

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित सब्जी विकास योजना अन्तर्गत प्याज भण्डारण संरचना की देयता राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 36.00 लाख (छत्तीस लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित सब्जी विकास योजना अन्तर्गत प्याज भण्डारण संरचना की देयता राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 36.00 लाख (छत्तीस लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– पी.पी.एम.–61/2023–66 दिनांक 05.09.2023 द्वारा स्वीकृत सब्जी विकास योजना अन्तर्गत प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण लाभुकों द्वारा ससमय पूर्ण नहीं किये जा पाने के कारण देयता की स्थिति उत्पन्न हुई है। स्वीकृत राशि से बक्सर, शेखपुरा, औरंगाबाद एवं गया जिला में सृजित देयता का ही भुगतान किया जायेगा। जिलावार देयता राशि संबंधित विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

3. योजनान्तर्गत देयता की राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि राज्य स्कीम मद से सब्जी विकास योजना के तहत प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण अवयव अन्तर्गत इसके बाद कोई भी देयता की राशि शेष नहीं है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही राशि का भुगतान लाभुकों को करेंगे। किसी तरह के गलत भुगतान के लिये निकासी एवं भुगतान करने वाले पदाधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

4. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–2 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form–42 पर CFMS की विहित रीति से निकासी की जायेगी।

5. देयता सामान्य एवं अनुसूचित जाति कोटि में होने के कारण सामान्य एवं अनुसूचित जाति मद में ही स्वीकृति दी जा रही है।

6. योजना का कार्यान्वयन/भुगतान वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्गत मूल स्वीकृत्यादेश संख्या– पी.पी.एम.–61/2023–66 दिनांक 05.09.2023 में निहित आदेश एवं निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

7. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. योजना के कार्यान्वयन में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

10. योजना के लिए वितीय वर्ष 2024–25 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101-31-06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	23568.00	31.500
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130-31-06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	6000.00	4.500
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-31-06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	432.00	-
कुल	**30000.00**	**36.000**

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 वि० (2) दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– NHM/BHDS/246/2024 के पृष्ठ संख्या–18/टि० पर दिनांक–08.10.2024 को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– NHM/BHDS/246 /2024 के पृष्ठ संख्या–19/टि० पर दिनांक–09.10.2024 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–692 दिनांक–09.10.2024 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

09/10

(शैलेन्द्र कुमार)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/246 /2024-प्रतिलिपि- 141- /पटना दिनांक 09/10/ 2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/246 /2024-कृ०बी०एम०-141- /पटना दिनांक: 09/10/ 2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/10
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/246 /2024-कृ०बी०एम०-141- /पटना दिनांक: 09/10/ 2024

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/10
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/246 /2024-कृ०बी०एम०-141- /पटना दिनांक: 09/10/ 2024

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/10
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/246 /2024-कृ०बी०एम०-141- /पटना दिनांक: 09/10/ 2024

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/10
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/246 /2024-कृ०बी०एम०-141- /पटना दिनांक: 09/10/ 2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

09/10
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची – 1

वित्तीय वर्ष 2024–25 में सब्जी विकास योजनान्तर्गत प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के देयता की राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला	भौतिक लक्ष्य (संख्या)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये)	भौतिक उपलब्धि (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि (लाख रूपये)	लंबित देयता की संख्या	लंबित देयता की राशि (लाख रूपये में)
1	बक्सर	7	31.50	6	8.6265	1	4.500
2	नवादा	6	27.00	5	22.5000	-	-
3	शेखपुरा	8	36.00	2	-	2	9.000
4	औरंगाबाद	7	31.50	7	24.7590	1	4.500
5	गया	7	31.50	6	9.0000	4	18.000
6	नालन्दा	7	31.50	3	13.5000	-	-
7	पटना	8	36.00	7	31.5000	-	-
		50	**225.00**	**36**	**109.8855**	**8**	**36.000**

नोट :– उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त कोई अन्य देयता शेष नहीं है।

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 2

वित्तीय वर्ष 2024–25 में सब्जी विकास योजनान्तर्गत प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के देयता की राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार/कोटिवार विवरणी

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	योग
1	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर		4.500	4.500
2	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	9.000		9.000
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	4.500		4.500
4	सहायक निदेशक उद्यान, गया	18.000		18.000
	कुल	**31.500**	**4.500**	**36.000**

(छत्तीस लाख रूपये)

निदेशक उद्यान, बिहार।